"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2008—माघ 26, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 2-1/08/1-8.—श्री राधेश्याम शर्मा, रजिस्ट्रार, (सतर्कता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की सेवायें विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई हैं, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 2-44/03/1-8.—इस विभाग के आदेश दिनांक 06-01-04 द्वारा श्री अमन कुमार सिंह (भा. रा. से.) संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन की सेवाएं भारत सरकार से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष के लिए ली गई थी. भारत शासन के पत्र दिनांक 08-06-06 द्वारा श्री सिंह की सेवाएं राज्य शासन को तीन वर्ष (दि. 27-01-04 से 26-01-07 तक) के लिए सौंपी गई थी, जो समाप्त हो चुकी है. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि में दो वर्ष (दि. 27-01-07 से 26-01-09 तक) की वृद्धि की जाती है.

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी.

3. श्री सिंह की प्रतिनियुक्ति अवधि में दो वर्ष की वृद्धि करने हेतु वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 22/सी. एन./18221/बजट-5/वित्त/चार/08, दिनांक 11-01-2008 द्वारा सहमति प्राप्त हुई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2008

क्रमांक ई-7/56/2004/1/2.—श्री जी. एस. धनंजय, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 01-02-2008 से 15-02-2008 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16 एवं 17 फरवरी, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री धनंजय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/37/2004/1/2.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से., संचालक, महिला एवं बाल विकास, छ. ग. रायपुर को दिनांक 09-10-2007 से 31-10-2007 तक (23 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01-11-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/37/2004/1/2.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से., संचालक, महिला एवं बाल विकास, छ. ग. रायपुर को दिनांक 26-09-2007 से 29-09-2007 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-09-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., श्रम आयुक्त पदेन सचिव, छ. ग. शासन, श्रम विभाग को दिनांक 07-01-2008 से 11-01-2008 (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 06, 12 एवं 13 जनवरी, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक श्रम आयुक्त पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/4/2007/1/2.—श्री आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 18-02-2008 से 14-03-2008 तक (26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17 फरवरी, 2008 एवं 15, 16 मार्च, 2008 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. प्रसन्ना आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री आर. प्रसन्ना को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. प्रसन्ना, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री आर. प्रसन्ना के उक्त अर्जित अवकाश अवधि में श्री बी. पी. रात्रे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर का चालू कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/20/2004/1/2.—श्री आर. सी. सिन्हा, भा. प्र. से., सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 31-01-2008 से 15-02-2008 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16 एवं 17 फरवरी, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिन्हा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—श्री पी. जॉय उम्मेन, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य, उद्योग, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 23-01-2008 से 11-02-2008 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन, आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य, उद्योग, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री उम्मेन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उम्मेन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/2/2008/1/2.—श्री भुवनेश यादव, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, कबीरधाम को दिनांक 26-12-2007 से 05-01-2008 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-12-2007 एवं 06-01-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री यादव, आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, कबीरधाम के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/34/2004/1/2.—डॉ. दुर्गेश मिश्रा. भा. प्र. से., आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, सरगुजा, अम्बिकापुर को दिनांक 11-02-2008 से 23-02-2008 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10 एवं 24 फरवरी, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मिश्रा आगामी आदेश तक आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, सरगुजा, अम्बिकापुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती ऋतु सैन, उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास , सरगुजा, अम्बिकापुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, सरगुजा, अम्बिकापुर का चालू कार्य भी सम्पादित करेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2008

क्रमांक 32/20/2008/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुन्दानी, प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 21-1-2008 से 25-1-2008 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुन्दानी को प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. डी. कुन्दानी अवकाश पर नहीं जाते तो प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2008

क्रमांक 34/943/2007/1-8/स्था.—श्री एस. के. दुबे, उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल, छत्तीसगढ़ के स्टाफ आफिसर को दिनांक 29-11-2007 से 24-12-2007 तक 26 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दुबे को उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल, छत्तीसगढ़ के स्टाफ आफिसर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल, छत्तीसगढ़ के स्टाफ आफिसर के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2008

क्रमांक 102/46/2008/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 24-1-2008 से 30-1-2008 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2008

क्रमांक 159/30/2008/1-8/स्था.—श्री विकास मिश्रा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 15-1-2008 से 22-1-2008 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विकास मिश्रा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विकास मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2008

क्रमांक 172/69/2008/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 28-1-2008 से 2-2-2008 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विलियम कुजूर को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विलियम कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2008

क्रमांक 174/58/2008/1-8/स्था.—श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग को दिनांक 5-1-2008 से 11-1-2008 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कर्मेला लकड़ा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कर्मेला लकड़ा अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2008

क्रमांक एफ-5-8/दो/आठ-परि./2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उप-धारा 3 के खण्ड (ग-क) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर एवं जगदलपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चितकरण (Route Formulation) करती है :—

क्र. (1)	मार्ग का नाम (2)	व्हाया (3)
1.	प्रतापपुर से नवाडीह	टूकूडांड, मंसगा, उदयपुर, लखनपुर
2.	कोरियाकालरी से अंबिकापुर	चिरमिरी, हल्दीबाडी, सोनाबानी, खडगवां, रतनपुर, बचरापोडी, बरबसपुर, गणेशपुर, प्रेमनगर, तारा, डांडगांव, उदयपुर, लखनउ.
3.	कोडा से चिरमिरी	देवाडांड, शिवपुर, खडगवां, दुबछोला, सोनाबानी, हल्दीबाडी
4.	विश्रामपुर से कोरबा	सूरजपुर, कलुआ, श्रीनगर, प्रेमनगर, तारां, मोरगा, मर्दना, पोंडी, कटघोरा, छूरी, दर्री.
5.	तमनार से रामानुजगंज	रायगढ़, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर
6.	मरोल से पत्थलगांव	महादेवडांड, कांसाबेल, डूमरबहार, तमता, फूलेता
7.	बिलासपुर से मालखरोंदा	मस्तूरी, मूलमूला, नरियारा, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, शक्ति
8.	हेडसपुर से चांपा	खिसोरा, खैजा, पहरिया, जांजगीर
9.	हेडसपुर से चांपा	बलोदा, जर्वे, जांजगीर

(1)	(2)	(3)
10.	पतोरा से चन्द्रपुर	पहरिया, जांजगीर, चांपा, सिवनी, शक्ति, अडभार
11.	भैंसवार से अंबिकापुर	सोनहत, बैकुंठपुर, पटना, बडसरा, भैयाथान, सलका, नवापारा, पाण्डोपारा, दतियामोड, लटोरी.
12.	बैकुंठपुर से कटगोडी	खरबट, लटमा, सुन्दरपुर
13.	चर्चा से बिलासपुर	बैंकुठपुर, खिडोरा, चिरजी, बचरापोडी, ससीजा, छिदिया, कोरबी, चोटियॉ, मडई, गुरसिया, पोंडी, कटघोरा, पाली, बेलतरा, रतनपुर.
14.	कुसमी से बैकुंठपुर	डीपाडी, शंकरगढ़, राजपुर, गोपालपुर, प्रतापपुर, भैंसामुडा, दबना, भैयाथान, पटना, पाण्डोपारा.
15.	कोटाडोल से अनूपपुर	भगवानपुर, जनकपुर, कुंवरपुर, जैतपुर
16.	चर्चा से कोरबा	बैकुंठपुर, बचरापोडी, चिरमी, सवरियॉ, छिदिया, सिरमिना, कोरबी, चोटियॉ, कटघोरा.
17.	चर्चा से मरवाही	बैकुंठपुर, दूबछोला, खडगंवा, देवाडांड, कोडा
18.	पोडगी से चिरमिरी	बेजनाथपुर, भैयाथान, खांडापारा, पाण्डोपारा, पटना, बैकुंठपुर, चर्चा, बरबसपुर, नागपुर, पोंडी.
19.	सोनहत से मनेन्द्रगढ़	भुघरा, कटगोरी, दामुजनगर, बरबसपुर, नागपुर, पठोतिया
20.	सोनहत से चिरमिरी	घुघरा, कटगोरी, दामुजनगर, नागपुर, पोंडी
21.	चिरमिरी से अंबिकापुर	नागपुर, चर्चा, बैकुंठपुर, पटना, पाण्डोपारा, बड़सरा, भैयाथान, डभना, सलवा, नवापारा, दतियामोड, लटोरी.
22.	सिधोंरा से मनेन्द्रगढ़	रायगढ़, तुर्रीपानी, सोनहत, भैंसवार, गुरूडोल, बिहारपुर, पठोतिया
23.	पेण्ड्रारोड से सूरजपुर	पेण्ड्रा, कोटमी, दानीकुण्डी, सेमरदर्री, सकडा, जरोंधा, देवाडांड, खडगंवा, रतनपुर, बैकुंठपुर, पटना, कलूआ.
24.	बिलासपुर से जडगा	पाली, कटघोरा
25.	मरवाही से सिवमिना	कटरा, कोडा, देवाडांड, खडगंवा, रतनपुर, बचरापोडी
26.	मरवाही से देवाडांड	कटरा, पोडा
27.	मरवाही से पोडा	कटरा
28.	रायगढ़ से वाड्रफनगर	घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, सीतापुर, अंबिकापुर, भैंसागुडा, प्रतापपुर, जरहीमोड.

(1)	(2)	(3)
29.	सरायपाली से अंबिकापुर	सागरपाली, सरसींवा, सारंगढ़, रायगढ़, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, सीतापुर.
30.	वाड्रफनगर से धनवाद	बसंतपुर
31.	मरवाही से बिलासपुर	कोटा, अचानकमार, केवंची, पेण्ड्रारोड.
32.	रेल्वे स्टेशन से चक्रभाठा	शिवटाटी चौक, बस स्टैण्ड, अग्रसेन चौक, मगरपारा रोड़, राजीव चौक
33.	रेल्वे स्टेशन से संकरी	शिवटाटी चौक, बस स्टैण्ड, अग्रसेन चौक, चंद्रिका हॉटल, पुलिस ग्राउंड, राजेन्द्रनगर चौक, नेहरू चौक, लोबरकोर्ट, 27 खोली चौक, राजस्व मंण्डल, मंगला चौक, रेल्वे फाटक.
34.	रेल्वे स्टेशन से लगरा	शिवटाटी चौक, बस स्टैण्ड, अग्रसेन चौक, चंद्रिका हॉटल, पुलिस ग्राउंड, राजेन्द्रनगर चौक, नेहरू चौक, सीपत चौक, मुपका.
35.	रेल्वे स्टेशन से सेंदरी	शिवटाटी चौक, बस स्टैण्ड, अग्रसेन चौक, चंद्रिका होटल, पुलिस ग्राउंड, राजेन्द्रनगर चौक, नेहरू चौक, सीपत चौक (महामाया चौक) कोनी.
36.	लगरा से रेल्वे स्टेशन	मुपका, राजकिशोर नगर, तोरवापुल, गुरूनानक चौक, स्टेशन
37.	रेल्वे स्टेशन से चक्रभाठा	एफ. सी. आई. गोदाम, व्यापार बिहार रोड, महाराणाप्रताप चौक
38.	बलोदा से गिधौरी	अकलतरा, पामगढ़, मेदाभाठा रसोरा, कोटाभाड, भूईगांव, कमरीद, तनोद, फोरसी, देवरी, खरोंद, शिवरीनारायण.
39.	गौरेल्ला से बेलझरिया	हर्रीटोला, लालपुर, मेडूका, खंता, बरवासन, पिपरिया, तौली, धोबहर, लरकेनी, सिवनी, मरवाही, बरोर, उसाड.
40.	पेण्ड्रारोड से कोरबी	कोटमी, पसान, पिपरिया
41.	पेण्ड्रारोड से साल्हेगोरी	लालपुर, अंधियारखोर
42.	बी. सी. एम. कॉलरी से कोरबा	मनेन्द्रगढ़, कोडा, बरोर, कोठमी, पसान, जडगा, कटघोरा
43.	बेलझरिया से पिपरिया	बरोर, मरवाही, कोटमी, पसान
44.	चंगेरी से कोरबा	मरवाही, कोटमी, पसान, कटघोरा, दर्री
45.	मरवाही से बैकुंठपुर	कोडा, देवाडांड, खडगंवा, बचरापोडी
46.	सरिया से रायपुर	बरमकेला, सारंगढ़, सरसींवा, भटगांव, बिलाईगढ़, गिधोरी, कसडोल, बलोदाबाजार.
47.	सरिया से कोरबा	बरमकेला, सारंगढ़, कोसिर, सरसींवा, भटगांव, बिलाईगढ़, गिधोरी, शिवरीनारायण, केरा, विर्रा, बह्मनीडीह, चांपा.

(1)	(2)	(3)
48.	टेका से रायपुर	कपसीडीह, जेंजरा, कोंदकेरा, बेलटूपरी, राजिम, नवापारा, पारागांव, नवागांव, सुन्दरकेरा.
49.	कोयलीबेडा से केशकाल	अंतागढ़, आमाबेडा, ईरागांव, धनोरा, बहीगांव
50.	आमाबेडा से कांकेर	ईरागांव, धनोरा, बहीगांव, केशकाल
51.	धनोरा से कांकेर	आरण्डी, बहीगांव, केशकाल
52.	धनोरा से अंतागढ़	ईरागांव, आमाबेडा
53.	धनोरा से बोरई	बहीगांव, केशकाल, बोरगांव, विश्रामपुरी
54.	दल्ली से केशकाल	भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, आमावेडा, ईरागांव, धनोरा, बहीगांव
55.	दल्ली से जगदलपुर	भानुप्रतापपुर, अतांगढ़, आमाबेडा, ईरागांव, धनोरा, बहीगांव, फरसगांव, कोण्डागांव, भानपुरी, बस्तर.
56.	दल्ली से अंतागढ़	भानुप्रतापपुर
57.	डौण्डी से रायपुर	घोटिया, झलमला, दुर्ग
58.	जगदलपुर से कोरमेल	घोटिया, रतेंगा
59.	जगदलपुर से ककनार	घोटिया, रतेंगा, कोरमेल
60.	जगदलपुर से ओरछा	मर्दापाल, कडेनार
61.	आवापल्ली से तारलागुडा	बीजापुर, मोदकपाल, मददेड, भोपालपटनम
62.	बासागुडा से तारलागुडा	इलमिडी, शंकरपल्ली, मददेड, भोपालपटनम
63.	ईलमिडी से बासागुडा	आवापल्ली
64.	बारसूर से कटेकल्याण	गीदम, दन्तेवाड़ा
65.	बारसूर से सुकमा	गीदम, दन्तेवाड़ा, कुम्हारपाल, नकुलनार, कोर्स, गादीरास
66.	दोरनापाल से बीजापुर	सुकमा, गादीरास, कोर्रा, नकुलनार, दन्तेवाड़ा, गीदम, भैरमगढ़
67.	पुसपाल से दन्तेवाड़ा	सुकमा, कोर्रा, नकुलनार
68.	जगदलपुर से फरसपाल	दरभा, कटेकल्याण, दन्तेवाड़ा
69.	कोन्टा से दन्तेवाडा	सुकमा, गादीरास, कोर्रा, नकुलनार, कुम्हारपारा

(1)	(2)	(3)
70.	सुकमा से बीजापुर	नकुलनार, दन्तेवाड़ा, गीदम, भैरमगढ़
71.	सुकमा से भोपालपटनम	नकुलनार, दन्तेवाड़ा, गीदम, भैरमगढ़, बीजापुर
72.	कोन्टा से बीजापुर	सुकमा, नकुलनार, दन्तेवाड़ा, गीदम, बीजापुर
73.	कोन्टा से भोपालपटनम	सुकमा, नकुलनार, दन्तेवाड़ा, गीदम, बीजापुर
74.	गीदम से बीजापुर	भैरमगढ़
75.	गीदम से भोपालपटनम	भैरमगढ़, बीजापुर
76.	गीदम से बासागुडा	भैरमगढ़, बीजापुर, आवापल्ली
77.	गीदम से सुकमा	दन्तेवाड़ा, नकुलनार
78.	गीदम से कोन्टा	दन्तेवाड़ा, नकुलनार
79.	गीदम से पुसपाल	दन्तेवाड़ा, नकुलनार, सुकमा
80.	गीदम से पालनार	दन्तेवाड़ा
81.	अमरावती से जगदलपुर	मोहलाई, पखनागुडा
82.	बड़े चकवा से जगदलपुर	पराली, नंदीसागर, लांमकेर, बस्तर
83.	चोकर से जगदलपुर	मातकवाली, कुकडानार, कवियासना, चडईपदर, टीकरा, लोहगां
84.	नारायणपाल से चित्रकोट	भैंसगांव
85.	जगदलपुर से नगरी	कोण्डागांव, गिरोला, रांधना, केरावाही
86.	कोण्डागांव से मगरी	गिरोला, रांधना, केरावाही, बालोद
87.	जगदलपुर से चित्रकोट	नारायणपुर, लामकेर, भैरमगढ़
88.	एरंला से फरसगांव	हीरापुर, मांकडी, राधन
89.	माकडी से कोण्डागांव	लुमा, काटागांव, बुडरा, बालोण्ड, केरावाही, गिरोला
90.	नगरी से बेलाडीला	कोण्डागांव, भानपुरी, चित्रकोट, बारसूर, गीदम, दन्तेवाड़ा, बचेली
91.	कोन्टा से गोलापल्ली	--
92.	कोन्टा से कंगालतोंगा	--

(1)	(2)	(3)
93.	दोरनापाल से जगरगुण्डा	पोलमपल्ली, चिंतागुफा, चितनार
94.	किरन्दुल से जगरगुण्डा	पालनार, अरनपुर
95.	बीजापुर से मिरतुर	गांगालूर, भैरमगढ़
96.	बीजापुर से जगरगुण्डा	आवापल्ली, बासांगुडा
97.	नैमेड से बेदरे	कुटरू
98.	बीजापुर से पुजारी कांकेर	आवापल्ली, उसूर.
99.	इंजरम से भेजी	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ 4-367/2007/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 86 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

द्वितीय अनुसूची में सरल क्रमांक 03 एवं 04 से संबंधित कालम 10 की प्रविष्टि (क) एवं (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाए.

"(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातक

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से—
   (1) एम. बी. ए. (मास्टर ऑफ बिजनेश, एडमिनिस्ट्रेशन)
   (2) स्थानीय स्वशासन
   (3) विधि

में उपाधि या पत्रोपाधि करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी."

Raipur, the 24th September 2007

No. F 4-367/2004/18.—In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 86 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh State Minicipal Services (Executive) Rules, 1973, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

In second schedule for the entries (a) and (b) column No. (10) against serial No. 3 and 4 the following entries shall be substituted :—

"(a) Graduation in Public Administration from any recognized University.

(b) Preference shall be given to Diploma or Degree holder from any recognized University in.
 (1) MBA (Master of Business Administration)
 (2) Public Administration
 (3) LL.B.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखों, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2007

विषय :- छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के सेटअप के संबंध में.

क्रमांक एफ 1-31/2004/खाद्य/29.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के लिये निम्नानुसार पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	मान्य पद (4)
1.	प्रबंध संचालक	भा. प्र. से.	01
2.	सचिव एवं महाप्रबंधक	14500-18500	01
3.	प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण एवं संग्रहण)	10000-15200	01
4.	प्रबंधक (वाणिज्य)	10000-15200	01
5.	प्रबंधक (कार्मिक)	10000-15200	01
6.	प्रबंधक (लेखा)	10000-15200	01
7.	उप प्रबंधक (तकनीकी)	8000-13500	06
8.	उप प्रबंधक (लेखा)	8000-13500	01
9.	कार्यपालन अभियंता	8000-13500	01
10.	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	6500-10500	08
11.	सहायक अभियंता	5500-9000	04
12.	निज सचिव	5500-9000	03
13.	सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	5500-9000	30

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	सहायक प्रबंधक (सामान्य)	5500-9000	05
15.	सहायक प्रबंधक (लेखा)	5500-9000	05
16.	प्रोग्रामर	8000-13500	01
17.	तकनीकी सहायक	4500-7000	140
18.	सहायक प्रोग्रामर	5500-9000	01
19.	लेखापाल	4000-6000	08
20.	सहायक	4000-6000	06
21.	मुद्रलेखन क्लर्क	3500-4500	05
22.	वाहन चालक	3050-4590	06
23.	चपरासी/सी.सी.एच./पी. सी. डी.	2550-3200	151
	योग	-	**384**

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 26/सी. एन./1755/बजट-5/वित्त/चार/2008 दिनांक 11-01-2008 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-7/2004/25-1/आजाक.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय यथा जिला कार्यालय, आदिवासी विकास, परियोजना कार्यालय, विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हेतु कुल 257 लेखापाल (वेतनमान 4000-6000) के सांख्येत्तर पदों की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के उपरांत निम्नानुसार कार्यालयवार वितरण करता है :—

अ. जिला कार्यालय हेतु लेखापाल की पद संरचना

स. क्र. (1)	कार्यालय का नाम (2)	पद संख्या (3)
1.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सरगुजा	10
2.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरिया	03
3.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जगदलपुर	07
4.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, नारायणपुर	01
5.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दंतेवाड़ा	03
6.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बीजापुर	01
7.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कांकेर	04
8.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर	05
9.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, धमतरी	02
10.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, महासमुंद	02
11.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दुर्ग	04

(1)	(2)	(3)
12.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव	04
13.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कबीरधाम	02
14.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बिलासपुर	06
15.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जांजगीर-चांपा	02
16.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरबा	03
17.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़	05
18.	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर	04
	योग	**68**

ब. परियोजना कार्यालय हेतु लेखापाल की पद संरचना

स. क्र. (1)	जिला (2)	कार्यालय का नाम (3)	पद संख्या (4)
1.	रायपुर	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, गरियाबंद	01
2.	राजनांदगांव	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, राजनांदगांव	01
3.	दुर्ग	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, डौण्डीलोहारा दुर्ग	01
4.	बिलासपुर	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, गौरेला, बिलासपुर	01
5.	सरगुजा	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, अंबिकापुर/रामानुजगंज/सूरजपुर, जिला-सरगुजा.	03 (01 पद प्रति परियोजना)
6.	कोरिया	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, बैकुण्ठपुर, कोरिया	01
7.	रायगढ़	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, धरमजयगढ़, रायगढ़	01
8.	कोरबा	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, कोरबा	01
9.	धमतरी	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, नगरी धमतरी	01
10.	दंतेवाड़ा	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, सुकमा/दंतेवाड़ा	02 (01 पद प्रति परियोजना)
11.	बीजापुर	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, बीजापुर	01
12.	जगदलपुर	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, जगदलपुर/कोडागांव	02 (01 पद प्रति परियोजना)
13.	नारायणपुर	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, नारायणपुर	01
14.	कांकेर	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, भानुप्रतापपुर/कांकेर	01
15.	जशपुर	कार्या. परि. प्रशा. एकी. आ. वि. परियोजना, जशपुर	01
		योग	**19**

स. कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी हेतु लेखापाल की पद संरचना

स. क्र. (1)	जिला (2)	कार्यालय का नाम (3)	पद संख्या (4)
1.	रायपुर	कार्या. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी छुरा/गरियाबंद/मैनपुर	03 (01 पद प्रति वि. खंड)

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	राजनांदगांव	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, चौकी/मोहला/मानपुर	03 (01 पद प्रति वि. खंड)
3.	बिलासपुर	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, गौरेला/पेण्ड्रा/मरवाही	03 (01 पद प्रति वि. खंड)
4.	रायगढ़	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, खरसिया/धरमजयगढ़/लैलूंगा/ घरघोड़ा/तमनार.	05 (01 पद प्रति वि. खंड)
5.	जगदलपुर	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर/तोकापाल/बस्तर/दरभा/ बास्तानार / लोहण्डीगुडा / बकावण्ड / कोण्डागांव / माकड़ी / फरसगांव/ केशकाल/बडेराजपुर.	12 (01 पद प्रति वि. खंड)
6.	नारायणपुर	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, नारायणपुर/ओरछा	02 (01 पद प्रति वि. खंड)
7.	दंतेवाड़ा	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, दंतेवाड़ा/कटेकल्याण/गीदम/ कुआकोण्डा/सुकमा/कोंटा/छिन्दगढ़.	07 (01 पद प्रति वि. खंड)
8.	बीजापुर	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बीजापुर/उसूर/भैरमगढ़/भापोलपट्टनम	04 (01 पद प्रति वि. खंड)
9.	कोरिया	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बैकुण्ठपुर/खड़गवां/भरतपुर/मनेन्द्रगढ़/ सोनहत.	05 (01 पद प्रति वि. खंड)
10.	दुर्ग	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी	01 (01 पद प्रति वि. खंड)
11.	सरगुजा	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, अंबिकापुर/राजपुर/उदयपुर/प्रतापपुर/ सीतापुर/वाड्रफनगर/मैनपाट/लुण्ड्रा/लखनपुर/सूरजपुर/रामानुजनगर/प्रेमनगर/ भैयाथान/रामचंद्रपुर/ओड़गी/बलरामपुर/शंकरगढ़/कुसमी/बतौली.	19 (01 पद प्रति वि. खंड)
12.	जशपुर	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, जशपुर/बगीचा/पत्थलगांव/कांसाबेल/ दुलदुला/कुनकुरी/फरसाबहार/मनोरा.	08 (01 पद प्रति वि. खंड)
13.	कांकेर	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, अंतागढ़/कोयलीबेड़ा/दुर्गकोंदल/ भानुप्रतापपुर/नरहरपुर/चारामा/कांकेर.	07 (01 पद प्रति वि. खंड)
14.	धमतरी	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, नगरी	01
15.	कोरबा	कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, कोरबा/करतला/कटघोरा/पोड़ीउपरोडा/ पाली.	05 (01 पद प्रति वि. खंड)
		योग	**85**

द. **कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हेतु लेखापाल,की पद संरचना.**

स. क्र. (1)	जिला (2)	कार्यालय का नाम (3)	पद संख्या (4)
1.	रायपुर	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छुरा/गरियाबंद/मैनपुर	03 (01 पद प्रति वि. खंड)
2.	राजनांदगांव	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चौकी/मोहला/मानपुर	03 (01 पद प्रति वि. खंड)
3.	बिलासपुर	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गौरेला/पेण्ड्रा/मरवाही	03 (01 पद प्रति वि. खंड)
4.	रायगढ़	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खरसिया/धरमजयगढ़/लैलूंगा/घरघोड़ा/तमनार.	05 (01 पद प्रति वि. खंड)
5.	जगदलपुर	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जगदलपुर/तोकापाल/बस्तर/दरभा/बास्तानार / लोहण्डीगुडा / बकावण्ड / कोण्डागांव / माकड़ी/फरसगांव/केशकाल/बडेराजपुर.	12 (01 पद प्रति वि. खंड)
6.	नारायणपुर	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नारायणपुर/ओरछा	02 (01 पद प्रति वि. खंड)
7.	दंतेवाड़ा	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दंतेवाड़ा/कटेकल्याण/गीदम/कुआकोण्डा/सुकमा/कोंटा/छिन्दगढ़.	07 (01 पद प्रति वि. खंड)
8.	बीजापुर	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बीजापुर/उसूर/भैरमगढ़/भोपालपट्टनम.	04 (01 पद प्रति वि. खंड)
9.	कोरिया	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैकुण्ठपुर/खड़गवां/भरतपुर/मनेन्द्रगढ़/सोनहत.	05 (01 पद प्रति वि. खंड)
10.	दुर्ग	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डौण्डी	01 (01 पद प्रति वि. खंड)
11.	सरगुजा	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अंबिकापुर/राजपुर/उदयपुर/प्रतापपुर/सीतापुर/वाड्रफनगर/मैनपाट/ लुण्ड्रा/ लखनपुर/ सूरजपुर/ रामानुजनगर/प्रेमनगर/भैयाथान/रामचंद्रपुर/ओड़गी/बलरामपुर/शंकरगढ़/कुसमी/बतौली.	19 (01 पद प्रति वि. खंड)
12.	जशपुर	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जशपुर/बगीचा/पत्थलगांव/कांसाबेल/दुलदुला/कुनकुरी/फरसाबहार/मनोरा.	08 (01 पद प्रति वि. खंड)
13.	कांकेर	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अंतागढ़/कोयलीबेड़ा/दुर्गकोंदल/ भानुप्रतापपुर/नरहरपुर/चारामा/कांकेर.	07 (01 पद प्रति वि. खंड)
14.	धमतरी	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नगरी	01

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	कोरबा	कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोरबा/करतला/कटघोरा/पोड़ीउपरोडा/पाली.	05 (01 पद प्रति वि. खंड)
		योग	85

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 502/1106/वित्त विभाग/ब-3/2007 दिनांक 28-7-2007 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 4 /अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सोनाडूला प. ह. नं. 27	1.228	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	अमलीडीपा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 5 /अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	भीमसेनडीह प. ह. नं. 26	1.689	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	अमलीडीपा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 6 /अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	बेहराचुवां प. ह. नं. 27	0.294	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	अमलीडीपा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 7 /अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	अमलीडीपा प. ह. नं. 26	2.191	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	अमलीडीपा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 फरवरी 2008

रा. प्र. क्र. /01 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	नमना	39.30	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर [अधोसंरचना विकास (भू-अर्जन) कक्ष]	1000 मेगावाट प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 5 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-सिमकेंदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.31 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
317/2	0.13
318, 320/3	0.02
240/2, 241/1	0.13
247	0.21
270/2	0.22
233/1	0.11
268/1	0.18
268/2	0.08
246/1, 246/2	0.02
267	0.17
268	0.50
235/4, 244/1	0.30
235/7	0.05
235/8	0.20
235/3, 243/1	0.52
236, 237/2, 238/1, 240/1	0.06
339/1	0.03
235/2, 242/1	0.17
23	0.46
115/2	0.13
117	0.25
241/2, 242/2, 253/2	0.03
118	0.23
119	0.11
योग 24	4.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिमकेदा जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 जनवरी 2008

क्रमांक 27/भू. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरिमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.764 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1015/5	1.214
1015/6	0.340
1015/7	0.991
1015/8	0.729
1015/9	0.478
1015/10	0.729

(1)	(2)
1015/11	0.283
योग	4.764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम बरिमा में बाक्साईट उत्खनन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 जनवरी 2008

क्रमांक 29/भू. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सीतापुर

(ग) नगर/ग्राम-बरिमा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.304 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1011	1.360
1007/24	0.945
1007/25	0.769
1007/26	1.230
योग	4.304

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम बरिमा में बाक्साईट उत्खनन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 जनवरी 2008

क्रमांक 31/भू. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सीतापुर

(ग) नगर/ग्राम-बरिमा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.610 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
82/26	0.283
82/27	0.506
82/43	2.898
111	0.162
112	0.753
113	0.008
योग	4.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम बरिमा में बाक्साईट उत्खनन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 जनवरी 2008

रा. प्र. क्र. 27/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-झगरहट्टा, पे. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.64 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	11	0.83
	162	0.34
	163/3	1.47
योग	3	2.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला जशंपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 7 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-झरगांव, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.942 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
367/1	0.010
371	0.150
446	0.120
459	0.097
376	0.860
377	0.230
379	0.120
387	0.100
457	1.380
373	0.060
374	1.100
386	0.090
448	0.710
450	0.430
453	0.020
382	0.070
439	0.100
440/1	0.220
455/1	0.090
455/2	0.430
458	0.061

	(1)	(2)
	440/2	0.251
	455/3	0.950
	430/2	0.040
	434/2	0.012
	430/1	0.030
	434/1	0.028
	430/3	0.050
	434/3	0.057
	429/2	0.310
	452	0.920
	385/3	0.020
	385/1	0.350
	441	0.030
	429/1	0.146
	451/1	0.800
	451/2	1.500
	435	0.100
	460	0.900
योग	39	12.942

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छ. ग. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रा. लि., रायपुर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अलोरी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.405 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	246	0.320
	247	0.240
	233	1.100
	200	1.050
	232	0.460
	238	0.580
	197/1	0.520
	197/2	0.360
	196	0.620
	240	0.010
	241	0.670
	242	0.073
	135	0.010
	199	0.180
	202	0.749
	230	0.160
	236	0.730
	170	0.080
	194	0.120
	133	0.050
	193	0.060
	229	0.090
	237	0.270
	244	0.260
	127	0.010
	190	0.410
	191	0.090
	192	0.010
	201	0.860
	239	0.740
	234	0.100
	245	0.380
	342/2	0.283
	342/3	0.093
	342/4	0.101
	342/5	0.194
	342/6	0.753
	342/6, 343	1.619
योग	38	14.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छ. ग. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रा. लि., रायपुर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-जशपुर
(ग) नगर/ग्राम-मतलोंगा, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.563 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	205	0.563
योग	1	0.563

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छ. ग. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रा. लि., रायपुर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-जशपुर
(ग) नगर/ग्राम-गुल्लू, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.481 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	29/1	0.036
	29/2	0.202
	31/2	0.049
	31/1	0.069
	32/1	0.300
	33	0.146
	34/3, 68/2	0.064
	62/1	1.291
	62/2	0.324
योग	09	2.481

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छ. ग. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रा. लि., रायपुर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.